रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 130अ] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 30, 1971/श्रावण 8, 1893

No. 130A] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 30, 1971/SRAVANA 8, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(Grih Mantralaya)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th July 1971

G.S.R. 1109-A.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Salaries and Allowances of Ministers Act, 1952 (58 of 1952), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Ministers' (Allowances, Medical Treatment and other Privileges) Rules, 1957, namely:—

1. These rules may be called the Ministers' (Allowances, Medical Treatment and other Privileges) Amendment Rules, 1971.

2. In Rule 3 of the Ministers' (Allowances, Medical Treatment and other Privileges) Rules, 1957, after clause (b) of sub-rule (3) the following clause shall be inserted namely:—

"(c) the Minister of Labour, Employment and Rehabilitation with effect from 18th March, 1971 and to the Minister of Petroleum and Chemicals and Minister of Communications with effect from 2nd May 1971, a sumptuary allowance of Rs. 250 per mensem."

[No. F. 4/16/71-Pub.I.]

Memorandum

Sumptuary allowance given to Ministers, who are not members of the Cabinet, is determined in each case having regard to the requirements of the particular assignment of the Minister. Formulation and consideration of proposals in this behalf takes time and the amendment of the rules in such cases has necessarily to be given retrospective effect. No one's interest is prejudicially affected by reason of retrospective effect, as is being given in this Notification.

K. R. PRABHU, Jt. Secy.

गृह मन्त्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जुलाई, 1971

सा०का०नि० 1109A.—मंत्रियों के भत्तों और भत्तों से संबंधित अधिनियम, 1952 (1952 का 58) की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार मंत्रियों के (भत्ते, चिकित्सीय उपचार और अन्य विशेषाधिकार) नियम, 1957 में आगे और संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्—

1. इन नियमों का नाम मंत्रियों के (भत्ते, चिकित्सीय उपचार और अन्य विशेषाधिकार) संशोधन नियम, 1971 होगा।

2. मंत्रियों के (भत्ते, चिकित्सीय उपचार और अन्य विशेषाधिकार) नियम 1957 के नियम 3 में, उसके उपनियम (3) के खण्ड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(ग) श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्री को 13 मार्च 1971 से और पैट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संचार मंत्री को 2 मई 1971 से 250·00 प्रति मास सम्प्रसरी भत्ता"।

[सं० फा० 4/16/71-वि०-1]

ज्ञापन

ऐसे मंत्रियों को जो न तो मंत्रिमण्डल के सदस्य नहीं है, दिए जाने वाले सम्प्रसरी भत्ते का अवधारण, प्रत्येक मामले में उनकी नियुक्ति विशेष की आवश्यकताओं का ध्यान रखते हुए किया जाता है। इस निमित्त व्यवस्थाओं को रूप देने और उन पर विचार करने में समय लगता है और ऐसे मामलों में नियमों के संशोधन को भूतलक्षी प्रभाव देना अनिवार्य हो जाता है। इस अधिसूचना में दिए गए भूतलक्षी प्रभाव के कारण किसी के भी हित पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है।

के० आर० प्रभु, संयुक्त सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1971